

2. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also any other financial activities that may occur over the course of the business. It is noted that these records are essential for determining the company's financial health and for providing a clear picture of its operations to stakeholders.

3. The second part of the document addresses the issue of inventory management. It emphasizes the need for a robust system to track the flow of goods from suppliers to customers. This involves regular audits and the use of modern inventory management software to ensure that stock levels are maintained and that there are no discrepancies in the accounting records.

4. The third part of the document focuses on the management of accounts receivable and payable. It highlights the importance of timely invoicing and the collection of payments to maintain a healthy cash flow. Simultaneously, it stresses the need to manage accounts payable efficiently to avoid late payments and potential penalties.

5. The final part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for improving financial record-keeping and inventory management. It suggests that regular training for staff and the adoption of best practices can significantly enhance the accuracy and reliability of the company's financial data.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक ^A 1198 / 111 / 14

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला सागर

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

9.5.2014

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर न्यायालय प्रकरण क्रमांक 733 अ 2/07-08 निगरानी में तारिख आदेश दिनांक 20.2.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारम्भिक तर्कों में बताया कि तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 173 के अंतर्गत बटवारे का आवेदन विवाराधीन था जिस पर आपत्ति यह की गई कि बटवारे का इकरारनामा सही नहीं है क्योंकि उस पर आपत्तिकर्ता के दस्तखत नहीं हैं तथा बटवारा अपंजीयत है। नायब तहसीलदार वृत्त परसोरिया ने अपंजीयत बटवारा प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी, जिस पर आवेदक ने निगरानी अपर कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर सागर ने प्रकरण क्रमांक 59/अ-27/07-08 में आदेश दिनांक 29-7-08 से वास्तविक तथ्यों को जाने बिना निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की गई और जब अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी की गई, उन्होंने भी निगरानी के तथ्यों को गहराई से न देखते हुये निगरानी निरस्त करने में भूल की है जब आवेदक के बटवारे के इकरारनामे पर दस्तखत नहीं है एवं उस पर आपत्ति है ऐसा इकरारनामा प्रकाशित नहीं किया जा सकता, इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख सुनवाई हेतु मंगाया जावे।



3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि उभय पक्ष के बीच नायव तहसीलदार वृत्त परसोरिया के यहाँ बटवारे का प्रकरण प्रचलित है जिसमें उभय पक्ष के बीच हुये इकरारनामे के अनुसार बटवारे की मांग है और इसी इकरारनामे को नायव तहसीलदार ने प्रकाशित कराया है जिस पर यदि आवेदक को आपत्ति थी वह आपत्ति प्रस्तुत कर अपने पक्ष समर्थन हेतु स्वतंत्र है।

4/ जहाँ तक विचाराधीन निगरानी में दिये गये तथ्यों का प्रश्न है ? नायव तहसीलदार वृत्त परसोरिया, अपर कलेक्टर सागर एवं अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्षा समवर्ती हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नजर नहीं आता है। वैसे भी आवेदक अपनी आपत्ति दर्ज कराने एवं अपना पक्ष समर्थन विचारण न्यायालय में करने हेतु स्वतंत्र एवं उसे तदाशय का पर्याप्त अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

Annamay
सदस्य

28.5.19